भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1761

08 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

1761. कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कई गरीब लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य-वार पीडीएस कवरेज की गणना के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भरता पुरानी हो चुकी है और इससे करोड़ों लाभार्थी बाहर हो गए हैं;

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने बिना राशन कार्ड वाली आबादी से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और चार माह अर्थात दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 (चरण-V) तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

(ख) से (छ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 अधिनियमित किया है जिसके तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लगभग 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या (देश की कुल जनसंख्या का 67%) की कवरेज की व्यवस्था की जाती है जो जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ है। इस अधिनियम के तहत समाज के सभी वंचित और जरूरतमंद वर्गों को काफी हद तक कवरेज प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है ताकि वे इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

इस अधिनियम की धारा 9 के तहत यह प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिशत कवरेज को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का, जनगणना के अनुसार जनसंख्या अनुमान के आधार पर आकलन किया जाएगा जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी संबंधित कवरेज सीमा तक चिन्हित किया जाए।

******